

नम्बर  
अहम  
हुकम  
में

10/8/2024 पत्रावली पेश हुई। वहील वादी उपस्थित।  
प्रतिवादी से 1 के क्लेम मुद्दा मान की तारीख  
सम्बन्ध रूप से हो चुकी है। बावजूद तारीख  
कोई उपस्थित नहीं। अतः क्लेम हुकमीत  
पत्र स्वीकार किया जाता है। वहील वादी ने  
संश्लेषित शिर्षक पेश किया। शामिल मिसल  
किया गया। विभाजन पुस्तक पर वहील वादी  
को सुना गया। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक  
20/8/2024 को पेश है।

12

24/8/2024 पत्रावली दिनांक 20/8/2024 का अवकाश  
बोका होने से वास्ते निर्णय आज पेश  
हुई। वहील वादी उपस्थित। दौरान बहस  
वहील वादी ने क्लेम किया कि मेरा दावा  
बदलने का है। अदेश दिनांक 6/2/2018  
की अनुपालना में तद्विषयक निकायानुसारे  
पुनः विभाजन पुस्तक प्राप्त हो चुका है।  
अतः विभाजन पुस्तक अनुसार दावा अन्तिम  
रूप से डिमी किया जावे।

12 अगावा -  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाशाना (सीकर)

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

बहुस विधान अखिवक्ता वाडी पर मतन  
किया गया ह्यं पजावनी व विभाजन प्रस्ताव  
का अवलोकन किया गया। वाडी व प्रतिवादीगण  
के मध्य मॉडि पर कबजे अनुसार विभाजन  
प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया  
है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई  
एतराज / अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।  
अतः वंहीनडा नौम कायला द्वारा प्रस्तावित



12

जुवेन कलम  
नौम कायला  
सुपरीम कोर्ट  
पुणे

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना  
व इजलास बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) : उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना  
रुड़मल जांगिड़ पुत्र नाथूराम जांगिड़ बनाम 1. गिरधारी (मृतक) 1/1 कमला देवी  
निवासी नापावाली तहसील आदि.  
नीमकाथाना

—वादी—

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा


मुकदमा नं. 45 सन् 2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट- वादी मिनजानिब मुद्दई व - एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 2763/भूअ./18 दिनांक 07.05.2018 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज.....×.....मुबलिंग.....×.....बाबत.....×.....  
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....×.....फीसदी सलाना  
आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....×.....को अदा करें।  
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24. माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर



  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।